उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या :23/2019/202(4)/छप्पन-2019-93/2017
लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च, 2019
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग **वित्तीय वर्ष : 2018-19** **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व लेखा-2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस संस्था का सुदृढ़ीकरण					
22030010503000 1	59.70	0.61	0.61	0.61	59.09
22030010503004 2	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00
योग	65.70	3.61	3.61	3.61	62.09

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखा-2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस संस्था का सुदृढ़ीकरण					
22030010503000 4	0.50	0.75	0.25	0.25	0.75
22030010503000 6	2.50	3.11	0.61	0.61	3.11
22030010503000 9	2.00	4.50	2.50	2.50	4.50
22030010503001 5	0.80	1.05	0.25	0.25	1.05
योग	5.80	9.41	3.61	3.61	9.41

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- संस्थान के कार्मिकों को आवश्यकतानुसार वेतन एरियर का भुगतान किए जाने एवं संस्थान की लाइब्रेरी हेतु आवश्यकतानुसार पुस्तकों आदि का क्रय किए जाने के कारण बचत सम्भावित है।	**आर.ई. संख्या- ई-7- 437/दस-2019, दिनांक : 27 फरवरी, 2019**
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- कार्यालय कार्मिकों के यात्रा देयकों, अन्य भत्ते आदि का भुगतान, विद्युत बिलों का भुगतान, मोटर गाडियों के रख-रखाव एवं ईंधन पर होने वाले भुगतान हेतु व्ययाधिक्य हो रहा है। **प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।**	**सेवा में,** **महालेखाकार,** **(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,** **उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**
सूर्य पाल गंगवार **विशेष सचिव,** **नागरिक उड्डयन विभाग।**	**हस्ताक्षर .....** **(राजेन्द्र राम)** **अनु सचिव,** **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।**
संख्या :23/2019/202(5)/छप्पन-2019-तद्दिनांक **प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-** **1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।** **2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।** **3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।** **4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7** **5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)** **6- गार्ड बुक।**	**डॉ सत्य प्रकाश तिवारी** **अनु सचिव,** **नागरिक उड्डयन विभाग।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।